globalisation, the effect of anything happening anywhere in the world affects all this, like the hot weather in Texas this year has improved the demand for cotton tremendously. So, I would like to know from the hon. Minister what concerted efforts he is going to make for improving the quality and the yield per acre. Though he might again say that it is an agricultural issue, I think, his is the nodal agency and he has to take the initiative.

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, as I said earlier, a Cotton Technology Mission was set up for that purpose. All suggestions made by the hon. Members to improve the quality will be considered. Unless we improve the quality of our cotton and reduce the production cost, it is very difficult to meet the competition in the international market. This is the only way. We are doing research and development on cotton seeds. The Minister of Agriculture is also taking concrete steps, so far as the quality and per hectare yield of cotton is concerned.

Appointment of SCs/STs in higher echelons of administration

*242. VEN'BLE DHAMMAVIRIYO: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether 'Forum of SC/ST Parliamentarians' in the representations submitted to Prime Minister on 17th December, 1996, 1st September, 1997 and 23rd July, 1998 has demanded appointment/posting of persons belonging to SCs/STs to important posts/positions in the higher echelons of administration;

(b) if so, action taken by Ministry of Coal thereon;

(c) the number of persons appointed/posted as Chief Executives, Official/Non Official Members of the Board of Directors/Governing Councils of all Public Sector Undertakings/ Subordinate Organisations under Ministry of Coal during the last five years; and

(d) the SCs and STs among them and their percentage?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI SYED SHAHANAWAZ HUSSAIN): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No memorandum from the Forum of SC/ST Parliamentarians has been received in the Ministry of Coal.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) and (d) Since there is no reservation in making appointments to Board level posts in PSUs or the post of Coal Controller, statistics in respect of SC/ST are not being maintained separately.

VEN'BLE DHAMMAVIRIYO: Sir, the hon. Minister did not give any reply to my questions. I think he did not understand the meaning of my questions. The hon. Members of Parliament belonging to SC and ST had given representations to the hon. Prime Minister, not to his Ministry. They met the hon. Prime Minister thrice; on 17th December, 1996, on 1st September, 1997, and on 23rd July, 1998. They met the hon. Prime Minister three times. The reply of the hon. Minister clearly indicates the kind of relationship and coordination between the Prime Minister's Office and the Ministry of Coal. I would like to know whether he has tried to understand the request of the Members of Parliament belonging to SC and ST for reservation, according to the norms of the Government's policy, in regard to SC and ST. This is my first question.

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, आरक्षण नीति हमारा मंत्रालय तय नहीं करता है। माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है कि उन्होंने प्रधान मंत्री जी को मिलकर निवेदन किया था और एक रिप्रजेंटेशन दिया था, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां डायरेक्टर लेवल की जो पोस्ट है, सिर्फ हमारे मंत्रालय में नहीं, सारे मंत्रालयों में जो डायरेक्टर लेवल की पोस्ट हैं, उसमें कोई रिज़र्वेशन नहीं है। जब तक सरकार से कोई रिज़र्वेशन की नीति नहीं बनती है, तब तक कोयला मंत्रालय अपनी ओर से कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने प्रधान मंत्री जी को मिलकर जो रिप्रजेंटेशन दिया है, उसके बारे में अभी तक हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है क्योंकि इसके बारे में कार्मिक मंत्रालय ही कोई जवाब देने की स्थिति में है।

VEN'BLE DHAMMAVIRIYO: Sir, my second supplementary is regarding the appointment of SC and ST candidates. The hon. Minister has indicated that they are not doing anything in making

appointments to the posts of Directors on the Board. I have also asked a question whether SC and ST candidates are appointed or posted as Chief Executives, official or non-official Members on the Board of Directors or Governing Councils of all public sector undertakings, that is, the Coal India Limited and its subsidiaries. The Coal Secretary had categorically stated before the Standing Committee on Power that there were more than 19,000 official in the Coal India and its subsidiaries. But you don't have any such officials from the SC and ST community in that force! I am surprised to learn that you are not able to find an efficient official to be appointed on the Board of Directors, or, as Chief Executive, or, as Chairman, in the Coal India Limited or in its subsidiaries or in the Ministry.

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि सरकारी और बोर्ड आफ डायरेक्टर्स आफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। जहां तक और आफिशियल्स की श्रेणी की बात है तो उसमें हमारे पूरे कर्मचारियों में 'ए' केटेगरी में 18,590 पूरे पद हैं जिसमें रिज़र्वेशन के आधार पर 966 नियुक्तियां हुई हैं।

सभापति महोदय, टोटल "ए", "बी", "सी" और "डी" कैटेगरी में कुल 23 प्रतिशत लोग हैं और 12.48 परसेंट अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं। 15 प्रतिशत की जगह टोटल में 23 प्रतिशत नियुक्ति हो चुकी है और शेड्यूल्ड ट्राईब्ज की नियुक्ति जो 7.5 प्रतिशत होनी थी, उसमें 12.48 प्रतिशत नियुक्ति हो चुकी है। इसलिए इन्होंने जो बैकलॉग पूछा है, वह काफी कम है।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि सी०आई०एल० और न्येवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, ये दो बड़े कारपोरेशन हमारे पास हैं, इनमें से कोल इंडिया लिमिटेड में 0.41 परसेंट और न्येवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में 0.60 परसेंट की कमी है और यह इस कारण है कि हमारे यहां पाबंदी है कि हम नयी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। चूंकि हम नयी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह बैकलॉग है। जब नयी नियुक्ति होगी तो इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, मंत्री महोदय प्रश्न को समझ नहीं पाए हैं। यह बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि क्या अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग प्रशासन की ऊंची श्रेणियों के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हैं? आप सीधा यह बताइए कि How many Directors, Joint Secretaries, Additional Secretaries and Secretaries belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories are posted in various Departments.

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मांग आरक्षण की नहीं की गई है। मांग यह की गई है कि महत्वपूर्ण पदों पर अनुसूचित जाति-जनजाति के अधिकारियों का ऐमपैनलमेंट हो क्योंकि यह ऐमपैनलमेंट नहीं होता। मेरी जानकारी के मुताबिक गवर्नमेंट आफ इंडिया में आज के दिन एक भी अनुसूचित जाति का सेक्रेटरी नहीं है, एक थे जो 31 जुलाई को रिटायर हो गए, अभी केवल एक अनुसूचित जनजाति का है, अनुसूचित जाति का कोई सेक्रेटरी नहीं है, ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं है, डायरेक्टर नहीं है। इनका ऐमपैनलमेंट करती है गवर्नमेंट .....(व्यवधान)

श्री टी॰ एन॰ चतुर्वेदी: सवाल कोयला मंत्रालय के बारे में है....(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं उसी बारे में सवाल पूछ रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके यहां जो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हैं, उनमें डायरेक्टर लेवल के, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के, ऐडीशनल सेक्रेटरी लेवल के कितने लोग हैं? अगर हैं तो उनके नाम बता दीजिए। आपने स्वीपर्स की संख्या बता दी कि वे 23 परसेंट हैं, आप हायर लेवल के लोगों की संख्या बताइए, don't mislead the House.

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, मैंने कैटेगरीवाइज़ संख्या बताई है और मेरी यह मंशा कभी नहीं है, ग्रुप "डी" के कर्मचारी जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा है, जो शब्द इन्होंने यूज़ किए हैं, मैं तो उन्हें यूज़ नहीं कर सकता, मैंने ग्रुप "डी" के कर्मचारियों की संख्या नहीं बताई है, उसमें तो 98 परसेंट कर्मचारी हैं। ग्रुप "ए" में 5.20, ग्रुप "बी" में 7.68, ग्रुप "सी" में 23.82, ग्रुप "डी" ई॰एस॰के॰ में 24.97, ग्रुप "डी" एस॰के॰ में जो हमारे यहां सफाई कर्मचारी के नाम से अंकित हैं, उनकी संख्या 98.49 परसेंट है, यह संख्या हमने नहीं बताई है।

सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहां रिज़र्वेशन है, 15 परसेंट और साढ़े सात परसेंट हर कैटेगरी में रिज़र्वेशन है लेकिन डायरेक्टर लेवल पर पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड की तरफ से जो नियुक्ति होती है, वह नियुक्ति डायरेक्टली कोयला मंत्रालय नहीं करता है, वह नियुक्ति वहां से होती है और उसमें अभी तक कोई आरक्षण नीति तय नहीं है। इसलिए यह प्रश्न कोयला मंत्रालय से संबंधित नहीं है। यह नियुक्ति का प्रश्न कार्मिक मंत्रालय से संबंधित है। हमारे पास तो पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड से जो पैनल आता है अगर उसमें रिजर्वेशन की कोई नीति बनेगी या जैसा कि पहले सम्मानित सदस्य ने पूछा था कि उन्होंने प्रधान मंत्री जी को ज्ञापन दिया है तो उस ज्ञापन के बारे में जब कोई निर्णय होगा तभी हमारे मंत्रालय को इसकी सूचना मिलेगी।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, प्रश्न को देखने के बाद और मंत्री जी के जवाब से ऐसा लगता है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के आरक्षण के प्रति सरकार

और जिम्मेदार नहीं है। उसने गैर जिम्मेदारी की बात कही है। केबिनेट की जोइंट जिम्मेदारी होती है। कोयला मंत्रालय ने जवाब दिया है कि शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शैड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में इन प्रश्न पर प्रधान मंत्री के यहां से हमें सूचना नहीं मिली। इससे काम चलने वाला नहीं है और न हम सुनने के आदी हैं ऐसी बातें। सरकार जिम्मेदार है क्योंकि उसकी जोइंट जिम्मेदारी है। शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न आपके सामने है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा और आप बतला भी नहीं पाएंगे...(व्यवधान)

श्री टी० एन० चतुर्वेदी: फिर आप कष्ट क्यों कर रहे हैं?

श्री मूल चन्द मीणा: आप बतला भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपने यह बात प्रधान मंत्री जी के ऊपर डाल दी है। एक बार संशोधन पास हुआ था पिछले सत्र में, आज तक वह लागू नहीं हुआ। क्या कोयला मंत्रालय ने भी लागू किया है या नहीं किया है?

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: बंगारू लक्ष्मण जी को हटा ही दिया है।

श्री मूल चन्द मीणा: दृष्टिकोण साफ दिखता है कि इनका और सरकार का दृष्टिकोण क्या है। जब गौतम जी द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा था तो बड़ा दर्द हो रहा था जब वह सैक्रेटरी, जोइंट सैक्रेटरी की बातें कर रहे थे। यह प्रश्न रिजर्वेशन से संबंधित है। कोयला मंत्रालय ने अपने ऊपर लेकर इसका जवाब टाला है।

श्री टी० एन० चतुर्वेदी: प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि कोयला मंत्रालय के संबंध में यह सवाल है ऐसा मैं उनको बतला रहा था।

श्री मूल चन्द मीणा: आपने इसको पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब है कि कोयला मंत्रालय ने क्वेश्चन के जवाब को टालने के लिए अपने ऊपर लिया है। जोइंट जिम्मेदारी के साथ प्रधान मंत्री जी को और आपको मिलकर इसका जवाब देना चाहिए जिससे सारे सदस्य संतुष्ट हो सकें। सभापति महोदय, कृपया इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। टालने की बात नहीं है जिसको टाला जाए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा है ऐसा नहीं है। उन्होंने मेरी क्षमता पर शक किया है, मेरी क्षमता जवाब देने की है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो नीति है नीति के आधार पर ही नियुक्ति होती है। अगर उसमें मैं भी चाहूं कि नियुक्ति कर लूं अगर नीति नहीं है तो मैं कैसे नियुक्ति कर सकता हूं। जोइंट सैक्रेटरी और एडिशनल सैक्रेटरी में इस प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है और जैसा मैंने कहा कि जहां प्रावधान है वहां हमारी तरफ से तथा कोयला मंत्रालय की तरफ से कोई कमी नहीं है जैसा मैंने डाटा दिया है। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं उस निर्देश के अनुसार कोयला मंत्रालय

काम कर रहा है और मैंने पहले भी कहा कि हमारा बैकलॉग बहुत कम है और कई जगह पर टोटल में मैंने बताया कि 15 प्रतिशत आरक्षण है उसकी जगह पर 23.81 परसेंट और एल०टी० में 12.48 परसेंट जहां साढ़े सात परसेंट है... (व्यवधान) मैंने सारा बताया है। सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहां नियुक्ति पर पांबदी है और जिस तरह के पद के लिए हमको उपयुक्त व्यक्ति चाहिए जब भी हम नियुक्ति करेंगे हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और जो बैकलॉग है उसको हम पूरा करेंगे।

श्री दयानन्द सहाय: यह जो सवाल है उसमें बताया गया है कि 19 हजार अफसर हैं। उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री अलग है और कम्पनियां अलग हैं। क्या मंत्री जी सदन को एश्योरेंस देंगे कि अगले दो वर्ष में उन कम्पनियों में कुछ लोगों को प्रमोट कर उनको कुछ डायरेक्टर लेविल के, मैनेजर लेविल के आफिसर बना देंगे ताकि इससे हाऊस में शांति भी हो जाएगी और इनकी इज्जत भी बढ़ जाएगी? आगे कम से कम कम्पनियों में यह काम कर सकते हैं, यदि आप मिनिस्ट्री में नहीं कर सकते हैं, यही एश्योरेंस मैं चाहता हूं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, मेरा यह दुर्भाग्य है कि जब तक कोई नीति नहीं बनती है तब तक मैं इसमें कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं। जहां पर आरक्षण की बात है डायरेक्टर लेवल, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल या एडीशनल सेक्रेटरी लेवल पर तो यह तय करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। मैंने पहले भी कह दिया है कि जहां नियुक्ति में रिजर्वेशन पहले से है, अभी नियुक्ति पर पाबंदी है, जब नियुक्ति होगी तो इस बैकलॉग को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री सी० एम० इब्राहीम: सर, नीति का सवाल अलग है, क्या नीयत है? नीति की बात तो अलग है, क्या नीयत है? अगर नीयत है तो आपने कहा सरकार, आप खुद सरकार हैं। सरकार के मायने हर एक मंत्री सरकार है। मंत्री जब बोलता है तो कहना चाहिए कि सरकार बोल रही है। यहां आपको यह लग नहीं रहा है, क्योंकि हमने चलाया है इसी तरह से। जिस वक्त आपको शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग चाहिए तो बाहर से रिक्रुट कीजिए, सदन में हो या सरकार में हो कोई इसका विरोध नहीं करेगा। देखिए, कम्पनियां घोड़े पर सवार जैसी होती हैं, वैसे ही घोड़ा चलता है, लगाम मजबूती से पकड़िये। क्या आप स्पेशल ड्राइव करायेंगे? जहां-जहां पर डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं है, उनको आप बाहर के डिपार्टमेंट से लाइये, बाहर से लाइये। आज शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स में आफिसरों की कमी नहीं है, लेकिन उनकी पहुंच नहीं है। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे यतीम हैं। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस मामले में, नीति तो रहेगी, नीयत को साफ करके कहें कि इतने साल के अंदर हम इसको पूरा करेंगे। आप ही सरकार हैं, सरकार कोई और नहीं है, सरकार आप हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: चेयरमैन सर, सी० एम० इब्राहिम साहब सदन के एक सम्मानित सदस्य हैं, वे खुद भी मंत्री रहे हैं और सरकार में उन्होंने भी उस वक्त नीयत के साथ ऐसे प्रावधान कर दिए होते तो मुझे आज जवाब देने में दिक्कत नहीं होती।...**(व्यवधान)**

श्री सी० एम० इब्राहीम: मेरे डिपार्टमेंट आई एंड बी में और सिविल एविएशन में देखिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री टी० एन० चतुर्वेदी: वे आपने ही वापस लिए थे।...**(व्यवधान)**...

श्री सी० एम० इब्राहीम: आप सिविल एविएशन और आई एंड बी मिनिस्ट्री को देखिए। जन-जाति के लोगों को एक ही वक्त में...**(व्यवधान)**...

श्री टी० एन० चतुर्वेदी: पांचों मेमोरेण्डम आपके वक्त में ही वापस लिए गये थे, जिनको कि हम रेस्टोर कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: सर, उस वक्त श्री सी० एम० इब्राहीम साहब बाथरूम में होते थे या नमाज पढ़ने के लिए गए होते थे।...**(व्यवधान)**...

श्री सी० एम० इब्राहीम: सर, लालू जी के लिए मै बाथरूम में रहता था क्योंकि लालू जी से मिलता था तो बड़ी दिक्कत होती थी।...**(व्यवधान)**...

श्री बालकवि बैरागी: सभापति महोदय, कृपया करके इस प्रश्न को संरक्षण दीजिए। जो मूल प्रश्न है वह आपसी बातचीत में आहत हो गया है।...**(व्यवधान)**...

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न संख्या - 242 पर, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित है, प्रश्न पूछने की अनुमति दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरा प्रश्न इससे मिलता-जुलता प्रश्न है जो कि मेरे साथी सांसदों ने पूछ लिया है। इसलिए मैं यही पूछना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति के अधिकारी, संयुक्त सचिव और सचिव, भारत सरकार में उच्च पदों पर कितने हैं? अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? क्या ये कार्य करने में अक्षम हैं इसलिए नहीं हैं? मै यह भी जानना चाहती हूं कि हाईकोर्ट में इनका रिजर्वेशन क्यों नहीं है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: चेयरमैन सर, प्रश्न इस समय कोयला मंत्रालय का है और सवाल मेरे से पूरी सरकार के बारे में पूछे जा रहे हैं। सी० एम० इब्राहीम साहब

ने कहा कि जो सरकार में मंत्री होता है वह सरकार पर सवार होता है। मैं जानता हूं कि मैं अपनी सरकार में ठीक-ठाक हैसियत रखता हूं, लेकिन सी० एम० इब्राहीम साहब के जमाने वाली हैसियत नहीं रखता हूं कि सारे जवाब इनको अभी दे सकता।...(**व्यवधान**)...

श्री सी० एम० इब्राहीम: आपकी भी वही ताकत है। आपको वाजपेयी जी भी चाहते हैं और आडवाणी जी भी चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सर, जैसा कि सम्मानित सदस्या ने पूछा है यह सवाल मेरे से रिलेटिड नहीं है। पूरे देश के मामलों से संबंधित सवाल मेरे से पूछा जा रहा है।

लघु उद्योगों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने का प्रभाव

*243. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सरकार द्वारा वर्तमान वस्त्र नीति के तहत मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने से घरेलू व लघु कपड़ा उद्योगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कपड़ा उद्योगों को राहत व संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करने के बाद वस्त्रों के आयात ने वृद्धि दर्शायी है। तथापि, कुल आयात, देश में वस्त्रों के वार्षिक घरेलू उत्पादन का एक प्रतिशत भी नहीं है। इस प्रकार इनके आयात से घरेलू और लघु उद्योग पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

(ख) और (ग) सरकार आयात पर निगरानी रख रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आयात से घरेलू उद्योग को किसी प्रकार का गंभीर नुकसान न हो अथवा प्रघात न पड़े। यदि किसी प्रकार के अनुचित व्यापार की प्रक्रिया के बारे में पता चलता है, तो आवश्यकता पड़ने पर डब्ल्यू टी ओ करार के अंतर्गत पाटन रोधी, प्रतिकारी और सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं।